उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-33/2024/प्र0स0-165/एक-1-2024-1-1/55/2024

लखनऊः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर-5.1.3 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि को लघु आस्थान के रूप में विकसित किये जाने हेतु ग्राम सभा की 5 एकड़ अथवा उससे अधिक चिन्हित भूमि तथा प्रस्तर-5.1.5 के अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सेप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदलेखण्ड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे तथा प्रदेश में विकसित किए जा रहे अन्य एक्सप्रेसवे/कॉरिडोर्स में 5 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत ग्राम सभा की 5 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि एक स्थान पर उपलब्ध होने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था में निम्नवत परिवर्तन किया जाता हैः-

(1) ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-59 की उपधारा-2 के खण्ड-(एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि में से 5 एकड़ अथवा उससे अधिक चिन्हित् भूमि का उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित), उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के आलोक में निःशुल्क पुनर्ग्रहण किया जायेगा।

(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-77(1) से आच्छादित लोक उपयोगिता/आरक्षित श्रेणी की चिन्हित भूमि का श्रेणी परिवर्तन उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित), उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के आलोक में निःशुल्क किया जायेगा।

2- विषयगत प्रकरण में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03-06-2016 एवं शासनादेश संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03-06-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त से संबंधित शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-33/2022/393/18-2-2022/18-2099/116(ल0उ0)/2022, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 के क्रम में।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।